फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

हरिसिंह पुत्र मेघसिंह बनाम इन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह वगेराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 136/2023) (सन् 2023)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
17.10.2023	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सोनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि का बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 14.11.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम शहीद भंवरसिंहनगर पटवार हल्का बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 385, 386, 212/1, 393, 411, 455 भूमि पर अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बेचान, हस्तान्तरण, नामान्तकरण, निर्माण कार्य एवं कब्जा नही करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्व नही करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थीगण अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 14.11.2023 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2025.02.18 12:22:49 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी बालेसर	
14/11/23	पत्रावली ... अधिकारी ... ... पर हो पत्रावली इसलिए ... 2/1/24 को पेश हो। रवि आदेशानुसार पेश हो।	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
3/7/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/चुनाव कार्य/राजकीय दौरे पर है। पत्रावली इलत्वा होकर दिनांक 13/8/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/8/24	आदेशवास्ते अन्य पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/9/24	आदेशवास्ते अन्य पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/11/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/11/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/चुनाव कार्य/राजकीय दौरे पर है। पत्रावली इलत्वा होकर दिनांक 24/12/24 को पेश हो। पूर्व आदेशानुसार पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/12/24	आदेशवास्ते प्रार्थी अनुसार मूलवाद अपर न्यायालय पूर्व में खारिज किया जा चुका है। मूलवाद के अभाव में पत्रावली सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। न्यायालय द्वारा दिनांक 17/10/23 को जो बाहिये अतिक्रमणकार [illegible] 212/1, 393, 44, 455 पर जारी [illegible] 381, अपास्त किया जाता है। [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.18 12:22:49 IST
Reason: SelfAttested